

संख्या- 64/e / 11(2)/16-51(एमओएलओए)/2016

प्रति,

असिस्टेंट सेंट्रल ह्यूमनरी,
प्रभासि सचिव,
सुत्तराखण्ड शासन।

महोदय,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 22 मार्च, 2016

विषय- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सोमेश्वर में विभिन्न 03 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

समयवत विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सोमेश्वर में संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न 03 कार्यों के प्राथमिक आयोजना, जिनकी कुल लम्बाई 20.00 किमी० + 01 सेतु तथा लागत ₹ 76.63 लाख के पर किमतीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 76.63 लाख (₹ छहत्तर लाख सित्त हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं० 5 में अनिवार्य विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 03 कार्यों हेतु ₹ 0.30 लाख (₹ तीस हजार मात्र) की कन्सायड व्यय हेतु आपको निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निर्माकित शर्तों के अधीन तत्पक्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(अ)- उपर्युक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयवत रूप से पूर्ण किया जायेगा तथा जनपद शासनादेश सं०-1764/11(2)/16-17(सामान्य)/2006 दिनांक 17 जून, 2016 की धारणाानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन में अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ब)- आयोजना में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के तालिका में संलग्न ऑफ सेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर निम्नानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(क)- कार्य पर सतत ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में घटत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आयोजना तैयार करने समय किया जायेगा।

(ख)- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मुख्य नज़र रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टताओं के अनुरूप ही कार्यों का सम्पादित करते समय मालन करना सुनिश्चित कर।

(ग)- आयोजना में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूतरे में व्यय कदापि न किया जाय।

(घ)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य सुत्तराखण्ड प्रोक्सीरिजेंट एक्ट-2006 एवं उपर्युक्त के विषय में समय-समय पर निर्मित समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नज़र में उपर्युक्त के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(ङ)- मुख्य सचिव, सुत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- 2007/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 तथा निर्मित आदेशों का कार्य करते समय या आयोजना पत्रित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(च)- उपर्युक्तानुसार स्वीकृत आयोजना में एकमोडवी०, भूमि अधिग्रहण, युटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में आवश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखापीरक-6055 राइकी विभाग सचिवों पर मूजीमत परिणय-का विज्ञापन कर के तदुक्त आयोजनामत-600-अन्य व्यय-05-राइकी/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 600-24 कुल निर्माण कार्य में किमतीय आय-व्ययक में प्रावधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(4)

1851
30.3.16
8-1-16

(21)

-2-

(क) - स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिसारी अभियन्ता का होगा।

(ख) - वर्तमान में व्यय हेतु अनुमति की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायगा यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में नियंत्रण में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(ग) - यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री प्राणीय सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री प्राणीय सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(घ) - प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप में अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो गितव्ययता की दृष्टि का ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखापीछक-5054 सड़कों तथा रोतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों -आयोजनागत -100-अन्य व्यय-03 राज्य सक्टर-02 तथा निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 1195/XXVII(2)/2015 दि०-22 मार्च, 2016 में प्राप्त सचकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-सूचोपरि-13116

1851/16 दि०-30/3/16
सं०-22/लेखापीछक-5054
सड़कों तथा रोतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04
जिला तथा अन्य सड़कों -आयोजनागत -100-अन्य व्यय-03 राज्य सक्टर-02 तथा निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

महोदय,

(असिस्टेंट सचिव द्वारा की)
प्रभारी सचिव

संख्या- (1)/11(2)/16-51(एम०एल०ए०)/2015 तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओवरसय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी अल्मोड़ा।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिसारी अभियन्ता लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
9. गाई युक्त।

छात्रा उनि पत्र्यापित

सहायक प्रचारिता
प्रान्तीय वाड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

आज्ञा से

(एम०एल०ए०)
उप सचिव

तारीख 28/3/16 दि० 28/3/16

प्रतिनिधि सूचोपरि-13116
सं०-22/लेखापीछक-5054
सड़कों तथा रोतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04
जिला तथा अन्य सड़कों -आयोजनागत -100-अन्य व्यय-03 राज्य सक्टर-02 तथा निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

अधीक्षण अभियन्ता,
प्रभारी सचिव,
लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा



-3-

सारनादेश सं०- 64/P / 11(2)/16-51(एमओएलओ)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016 को संलग्न
(चिन्तासि लाय र गे)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	कुल स्वीकृत लागत।	बालू विलीय का में अवशेष का आ रही प्रचुरता
1	2	3	4	5
1	गाँव मुख्यामंजी घोषणा संख्या-1799/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- सोमेश्वर के अन्तर्गत द्वारसी-काकडीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी बैज से घनी पेंसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	6.00	27.19	0.10
2	गाँव मुख्यामंजी घोषणा संख्या-2294/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस-ज्योती मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (प्रथम चरण)	10.00 + 30 mtr.	35.91	0.10
3	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-सोमेश्वर के अन्तर्गत शीतलाखेत-कठपुडिया मार्ग से चम्पा-भंडू होते हुए ज्योती बसर मार्ग तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	13.53	0.10
	योग:-	20.00 + 01	76.63	0.30

(कुल र जीसा हजार मात्र)

(एमओएलओ)
उप सचिव

छाया नि महरापित

पदार्थ प्रविष्टता
प्रान्तीय बाड, ली० नि० वि०
अल्मोड़ा